स्थापित : 1962

इस्माईल नेशनल महिला (पी.जी.) कॉलिज, मेरठ

NAAC Accredited 'A' Grade College

Ph.: 0121-4303100, 0121-4300443,
E-mail : inpgcollegemeerut@yahoo.com, Website : www.inmpgcollege.org

विवरण पत्रिका

2021 - 22

सन्देश

उर्दू नज़्म के प्रसिद्ध शायर प्रेरणादायी, ज्ञानोपयोगी, समाजोपयोगी व्यक्तित्व के मालिक मौ0 इस्माईल मेरठी द्वारा संस्थापित यह संस्था अपने गौरवशाली परम्पराओं को मजबूती से थामे हुए मेरठ नगर में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है। महाविद्यालय निरन्तर विकास की ओर अग्रसर प्रमुख, उत्कृष्ट, शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों, भावी एवं नवीन योजनाओं के साथ कदम-ब-कदम आगे बढ़ता जा रहा है। एक सृजनशील शिक्षित समाज की स्थापना के लिए सशक्त शिक्षा प्रणाली, कर्मठ शिक्षक तथा उदार एवं निष्ठावान प्रबन्धतंत्र सदैव ही तत्पर रहे हैं। महाविद्यालय की छात्रायें शिक्षा प्राप्ति के साथ-साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यों, सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न रहते हुए महाविद्यालय को नये आयाम प्रदान कर रही हैं। छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं को विकसित करते हुए विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में विगत वर्षों की भाँति उच्च स्थान प्राप्त किये हैं। छात्राएँ महाविद्यालय की प्रवक्ताओं के निर्देशन में शोध कार्य कर रही हैं तथा अपने परिश्रम, दृढ़ निश्चय व कर्मठता से प्रशासनिक तथा शैक्षिक पदों पर पहुँच कर अपनी क्षमता को खोजने व निखारने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी योग्यता सिद्ध कर रही हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी महाविद्यालय उन्नत तकनीकों को अपनाते हुए उच्चतम शिखर पर अवश्य पहुँचेगा।

डॉ0 हुमा मसूद
प्राचार्या

अजय अग्रवाल
अवैतनिक सचिव

इस्माईल नेशनल महिला (पी0जी0) कॉलिज, मेरठ

परिचयांकन

इस्माईल नेशनल महिला (पी0जी0) कॉलिज की स्थापना 1909 में उर्दू के ख्याति प्राप्त शायर एवं समाज सेवी मौहम्मद इस्माईल मेरठी द्वारा एक छोटे से मकतब के रूप में की गयी थी। कदाचित् यह उस पवित्र आत्मा का आशीर्वाद एवं शिक्षा के प्रति समर्पित जनों का परिश्रम ही था कि सन् 1940 में यह हाईस्कूल, 1952 में इण्टरमीडिएट तथा 1962 में आगरा विश्वविद्यालय से डिग्री तथा 1984 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से एम0ए0 कक्षाओं की मान्यता प्राप्त करते हुए महाविद्यालय की श्रेणी में आ गया। तब से लेकर आज तक इस महाविद्यालय का प्रगति–रथ अविराम गति से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015–16 में NAAC निरीक्षण में महाविद्यालय को 'ए' ग्रेड प्राप्त हुआ है, जिससे इस महाविद्यालय की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता सार्वजनिक हुई है।

वर्ष 1984 से संस्था में हिन्दी एवं उर्दू विषयों में, वर्ष 1990 से समाजशास्त्र एवं राजनीतिविज्ञान विषयों में, वर्ष 1995 से कला एवं संगीत (गायन, तबला, सितार) में, वर्ष 1996 से मनोविज्ञान एवं संस्कृत विषयों में, वर्ष 1998 से बी0काम0 की कक्षाएँ तथा 2000 में अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएँ आरम्भ हो गई हैं। वर्ष 2006–07 से महाविद्यालय में बी0एड0 एवं एम0काम0 की कक्षाएँ भी सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। सत्र 2014–15 से महाविद्यालय में बी0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित) में भी कक्षाएँ आरम्भ हो गई हैं।

सत्र 2001–2002 से महाविद्यालय को राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से बी0ए0, बी0काम0, एम0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, आधुनिक एवं मध्यकालीन इतिहास, समाजशास्त्र), पत्रकारिता एवं जन संचार में डिप्लोमा व पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्ना[illegible] कोर्स में प्रवेश की मान्यता प्राप्त हो गई है।

महाविद्यालय की समस्त शिक्षिकाएँ अत्यन्त योग्य, अनुभवी एवं कर्मठ हैं, शोध–पत्र लेखन, पुस्तक लेखन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं संगोष्ठियों में उनकी संलग्नता सदैव रहती है।

गतवर्ष विश्वविद्यालय की योग्यता सूची में उर्दू, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, ड्राइंग पेंटिंग, संगीत विषय में क्रमशः चतुर्थ, प्रथम, प्रथम पाँच, तृतीय, द्वितीय–चतुर्थ स्थान इस महाविद्यालय की छात्राओं ने ही प्राप्त किये हैं। इसके अतिरिक्त शोध के क्षेत्रों में भी इस महाविद्यालय की छात्राओं ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। अधिकांश विषयों में NET, JRF, SRF, PDF छात्राओं से यह शिक्षण संस्था गौरवान्वित है। अनेक छात्राएँ अनुभवी एवं योग्य प्रवक्ताओं के निर्देशन में शोधकार्य (Ph.D) कर रही हैं। हिन्दी, राजनीतिविज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, चित्रकला, संगीत विषयों में शोध

कराये जाने की सुविधा उपलब्ध है। कोविड–19 महामारी के समय प्रवक्ताओं द्वारा कक्षाओं एवं अन्य शिक्षणेत्तर गतिविधियों का क्रियान्वयन ऑनलाइन किया गया। नई शिक्षा नीति के अनुपालन के लिए दस प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया।

इसके अतिरिक्त अन्तर्विश्वविद्यालय/अन्तर्महाविद्यालय स्तर की वाद–विवाद–भाषण–लेखन आदि प्रतियोगिताओं में, नृत्य, गीत, क्रीड़ा के क्षेत्र में, क्विज़ में, कविता आदि अनेक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी महाविद्यालय की छात्राएँ पुरस्कार अर्जित करती आयी हैं और आज भी कर रही हैं।

उच्च तकनीकी गुणवत्ता से भी यह महाविद्यालय परिपूर्ण है। पूरा परिसर Wi-Fi सम्पन्न, पुस्तकालय, ऑफिस एवं समस्त विभाग इंटरनेट कनेक्ट, महाविद्यालय में एन.एस.एस. की तीन यूनिट, काउंसलिंग सेल, दूरस्थ शिक्षा केन्द्र राजर्षि टण्डन, जिम एवं लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय की अपनी पत्रिका 'आयाम' का प्रकाशन भी निरन्तरता से होता आया है।

आशा है कि भविष्य में भी यह महाविद्यालय इसी प्रकार अपनी सफल एवं सुनियोजित सेवाओं को प्रस्तुत करता रहेगा तथा छात्राओं को संस्कारित दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता रहेगा।

● ● ●

विषय सूची

क्र0सं0	नाम	पृष्ठ सं0
1.	प्रबन्ध समिति	1
2.	आचार्य कुल एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग	2–3
3.	प्रवेश समितियाँ	4
4.	अध्यापन के विषय	5
5.	प्रवेशकालीन औपचारिकताएँ एवं आवश्यक नियम	6
6.	प्रवेश सम्बन्धी नियम	7–10
7.	वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी नियम	11
8.	परिचय–पत्र, महाविद्यालय यूनिफॉर्म	12
9.	पुस्तकालय	13
10.	शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ एवं सुविधायें	14
11.	वर्ष की सर्वोत्तम छात्रायें	15
12.	परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर दण्ड का विवरण	16
13.	शासन/विश्वविद्यालय द्वारा विनिहित शुल्क तालिका	17–18
14.	प्रवेश के समय लिया जाने वाला शुल्क	19–20
15.	उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा महाविद्यालय में संचालित कोर्सों का विवरण	21

● ● ●

प्रबन्ध समिति

1.	श्री मनीष प्रताप	(अध्यक्ष)
2.	श्री ब्रज भूषण	(उपाध्यक्ष)
3.	श्री अजय अग्रवाल	(सचिव)
4.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	(सहसचिव)
5.	डॉ० महेश चन्द	(सदस्य कार्यकारिणी)
6.	श्री अनिल कुमार जैन	(सदस्य कार्यकारिणी)
7.	श्री रवि प्रकाश अग्रवाल	(सदस्य कार्यकारिणी)
8.	श्री विनोद कुमार बंसल	(सदस्य कार्यकारिणी)
9.	श्री विजय प्रकाश मित्तल	(सदस्य कार्यकारिणी)
10.	हकीम सिराजुद्दीन अहमद	(सदस्य कार्यकारिणी)
11.	डॉ0 अखिलेश चन्द्र वशिष्ठ	(सदस्य कार्यकारिणी)
12.	श्री महेश कुमार गुप्ता	(सदस्य कार्यकारिणी)
13.	श्री अजय गुप्ता	(सदस्य कार्यकारिणी)
14.	श्री ए0के0 करोली	(सदस्य कार्यकारिणी)
15.	श्री हर्षवर्धन	(सदस्य कार्यकारिणी)
16.	श्री अतुल कुमार गुप्ता	(सदस्य कार्यकारिणी)
17.	श्री ओमप्रकाश शर्मा, एडवोकेट	(सदस्य कार्यकारिणी)
18.	श्री संजीवेश्वर प्रकाश	(सदस्य कार्यकारिणी)
19.	श्री सुशील कुमार	(सदस्य कार्यकारिणी)
20.	डॉ0 प्रदीप अरोड़ा	(सदस्य कार्यकारिणी)
21.	श्री अमन अग्रवाल	(सदस्य कार्यकारिणी)
22.	श्री सुमित कुमार	(सदस्य कार्यकारिणी)
23.	श्री शुभेन्द्र मित्तल	(सदस्य कार्यकारिणी)
24.	डॉ0 हुमा मसूद	प्राचार्या
25.	डॉ0 वन्दना शर्मा	प्राध्यापिका प्रतिनिधि
26.	डॉ0 दीप्ति कौशिक	प्राध्यापिका प्रतिनिधि
27.	डॉ0 शिवाली अग्रवाल	प्राध्यापिका प्रतिनिधि
28.	डॉ0 स्वर्णा	प्राध्यापिका प्रतिनिधि
29.	श्रीमती मीनू शर्मा	प्राध्यापिका प्रतिनिधि
30.	श्री अजय प्रताप	गैर शिक्षक कर्मचारी प्रतिनिधि

• • •

डॉ0 हुमा मसूद — प्राचार्या

कला संकाय

1.	डॉ0 वन्दना शर्मा	एसो0 प्रो0, मनोविज्ञान विभाग
2.	डॉ0 दीप्ति कौशिक	एसो0 प्रो0, समाजशास्त्र विभाग
3.	डॉ0 शिवाली अग्रवाल	एसो0 प्रो0, राजनीति विज्ञान विभाग
4.	डॉ0 दीपा त्यागी	एसो0 प्रो0, हिन्दी विभाग
5.	डॉ0 पारुल त्यागी	एसो0 प्रो0, अंग्रेजी विभाग
6.	डॉ0 रीना गुप्ता	एसो0 प्रो0, संगीत विभाग
7.	डॉ0 ममता	असिस्टेन्ट प्रो0, शारीरिक शिक्षा विभाग
8.	डॉ0 विनेता	असिस्टेन्ट प्रो0, मनोविज्ञान विभाग
9.	डॉ0 शुभा त्रिपाठी	असिस्टेन्ट प्रो0 समाजशास्त्र विभाग
10.	श्रीमती पूजा राय	असिस्टेन्ट प्रो0 समाजशास्त्र विभाग
11.	श्रीमती आँचल सिंह	असिस्टेन्ट प्रो0 चित्रकला विभाग
12.	कु0 सुमन मिश्रा	असिस्टेन्ट प्रो0 हिन्दी विभाग
13.	डॉ0 स्वर्णा	असिस्टेन्ट प्रो0 अंग्रेजी विभाग
14.	श्रीमती मीनू शर्मा	असिस्टेन्ट प्रो0 अंग्रेजी विभाग
15.	डॉ0 माया भारती	असिस्टेन्ट प्रो0 राजनीति विज्ञान विभाग
16.	डॉ0 सपना शर्मा	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) संस्कृत विभाग
17.	डॉ0 नीतू शर्मा	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) संस्कृत विभाग
18.	डॉ0 बबीता शर्मा	प्रवक्ता (स्व. वित्तपोषित) चित्रकला विभाग
19.	डॉ0 दिशा दिनेश	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) चित्रकला विभाग
20.	डॉ0 ममता सिंह	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) अर्थशास्त्र विभाग
21.	डॉ. कविता गर्ग	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) अर्थशास्त्र विभाग
22.	डॉ0 ऋचा अत्री	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) मनोविज्ञान विभाग
23.	डॉ0 गरिमा अग्रवाल	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) संगीत विभाग
24.	डॉ0 श्वेता सोम	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) संगीत विभाग
25.	श्रीमती निशा गुप्ता	अस्थायी प्रवक्ता गृहविज्ञान विभाग

वाणिज्य संकाय

1.	डॉ0 मनी भारद्वाज	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
2.	डॉ0 दीप्ति कन्नौजिया	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
3.	कु0 श्वेता कन्नौजिया	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)

विज्ञान संकाय

1.	डॉ0 दीप्ति सक्सैना	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) भौतिक विज्ञान
2.	डॉ0 सोनिया गुप्ता	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) गणित
3.	डॉ0 रेनु अग्रवाल	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) रसायन विज्ञान
4.	श्रीमती मीना राजपूत	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) गणित
5.	डॉ0 सुधा गोयल	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित) रसायन विभाग

शिक्षा संकाय

1.	डॉ0 वन्दना भारद्वाज	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
2.	डॉ0 कुलज्योत्सना	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
3.	डॉ0 अंजु बाला राजपूत	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
4.	डॉ0 अनीता गुप्ता	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
5.	डॉ0 मीना तोमर	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
6.	डॉ0 अन्जू गुप्ता	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
7.	डॉ0 सारिका शर्मा	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
8.	डॉ0 नीलम शर्मा	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
9.	डॉ0 नीति चौहान	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
10.	डॉ0 शाजिया	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
11.	श्रीमती विनीता गुप्ता	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)
12.	श्रीमती इन्दु गर्ग	प्रवक्ता (स्व वित्तपोषित)

शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग

1.	श्री योगेन्द्र अग्रवाल	कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री अमित कुमार	लेखाकार
3.	श्री विनोद कुमार शर्मा	नैत्यिक लिपिक
4.	श्री दिनेश कुमार	नैत्यिक लिपिक
5.	श्री अजय प्रताप सिंह	नैत्यिक लिपिक
6.	श्री निपुण जैन	पुस्तकालय लिपिक

• • •

प्रवेश समितियाँ

प्रवेश नियन्त्रक	:	***डॉ० हुमा मसूद, प्राचार्या***
बी0ए0 प्रथम वर्ष	:	डॉ0 वंदना शर्मा (संयोजिका)
	:	डॉ0 दीपा त्यागी, डॉ0 विनेता
	:	सुमन मिश्रा, मीनू शर्मा,
	:	डॉ0 सपना शर्मा, डॉ0 बबीता शर्मा,
	:	डॉ0 रेनू अग्रवाल, डॉ0 सोनिया गुप्ता
	:	डॉ0 दीप्ति कन्नौजिया
बी0ए0 द्वितीय वर्ष	:	डॉ0 शिवाली अग्रवाल, डॉ0 पारुल त्यागी
		डॉ0 ममता
बी0ए0 तृतीय वर्ष	:	डॉ0 रीना गुप्ता, आँचल सिंह
	:	डॉ0 माया भारती
एम0ए0		
एम0ए0 हिन्दी	:	डॉ0 दीपा त्यागी
एम0ए0 उर्दू	:	डॉ0 हुमा मसूद
एम0ए0 समाजशास्त्र	:	डॉ0 दीप्ति कौशिक
एम0ए0 राजनीति विज्ञान	:	डॉ0 शिवाली अग्रवाल
एम0ए0 संस्कृत	:	डॉ0 सपना शर्मा
एम0ए0 अंग्रेजी	:	डॉ0 पारुल त्यागी
एम0ए0 मनोविज्ञान	:	डॉ0 वन्दना शर्मा
एम0ए0 संगीत	:	डॉ0 रीना गुप्ता
एम0ए0 चित्रकला	:	श्रीमती आँचल सिंह
एम0ए0 अर्थशास्त्र	:	डॉ0 ममता सिंह
बी0कॉम0, एम0कॉम	:	डॉ0 मनी भारद्वाज
बी0एस0सी0 (प्रथम वर्ष)	:	डॉ0 दीप्ति सक्सैना
(द्वितीय वर्ष)	:	डॉ0 सुधा गोयल
(तृतीय वर्ष)	:	मीना राजपूत
बी0एड0	:	डॉ0 वन्दना भारद्वाज (संयोजिका)
समय सारणी	:	डॉ0 हुमा मसूद (संरक्षिका)
	:	डॉ0 दीप्ति कौशिक (प्रभारी)

• • •

अध्यापन के विषय

एम0 ए0 (1) हिन्दी साहित्य (2) उर्दू साहित्य (3) अंग्रेजी साहित्य
(4) संस्कृत साहित्य (5) समाजशास्त्र (6) मनोविज्ञान
(7) राजनीति विज्ञान (8) अर्थशास्त्र (9) चित्रकला
(10) संगीत (गायन, तबला व सितार)

विश्वविद्यालय के नियमानुसार बी0ए0 में केवल तीन विषय चुनने होंगे।

(1) हिन्दी अथवा उर्दू साहित्य (2) संस्कृत साहित्य
(3) अंग्रेजी साहित्य (4) समाजशास्त्र अथवा चित्रकला
(5) राजनीति विज्ञान (6) मनोविज्ञान
(7) अर्थशास्त्र (8) संगीत (गायन, तबला व सितार)
(9) गृहविज्ञान (10) शारीरिक शिक्षा

एम0कॉम0 : अनिवार्य विषय

बी0कॉम0 : तीनों ग्रुप अनिवार्य हैं (सभी विषय)

नोट : **1. गृह विज्ञान विषय लेने वाली छात्राओं को उक्त विषय का शुल्क अलग से देना होगा।**

2. स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित विषयों में संयोजन का निषेध है।

(1) तीन साहित्य एक साथ।
(2) संगीत के कोई दो विषय एक साथ।
(3) हिन्दी व उर्दू एक साथ।
(4) समाजशास्त्र एवं चित्रकला एक साथ।

सामान्य विषय :

बी0ए0/बी0कॉम0/बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष में निम्न में से कोई एक विषय लेना है –
सामान्य हिन्दी/सामान्य अंग्रेजी/सामान्य संस्कृत एवं सामान्य जागरूकता

क्रीड़ा विषय : बी0ए0/बी0कॉम0/बी0एस0सी0 द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में निम्न क्रीड़ा विषयों में से एक लेना अनिवार्य है : –

1. बैडमिन्टन
2. टेबिल टेनिस
3. खो–खो

बी0एड0 विश्वविद्यालय के नियमानुसार नौ पेपर

बी0एस0सी0 (पी0सी0एम0) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित

● ● ●

प्रवेशकालीन औपचारिकताएँ

1. हाईस्कूल प्रमाण पत्र
2. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रतियाँ।
3. जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रतियाँ।
4. परिचय पत्र के लिए एक नवीनतम् टिकट साइज फोटो
5. सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ।
6. विश्वविद्यालय नियम संख्या 6 एवं 7 में सन्दर्भ के अधिभार हेतु उपर्युक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ।
7. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रतियाँ।
8. पिछली संस्था के चरित्र प्रमाण पत्र (CC) एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) की मूल प्रतियाँ।
9. बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) परीक्षा फार्म भरते समय देय होगा।
10. आधार कार्ड या उसका रजिस्ट्रेशन नं0 देय होगा।
11. यू0पी0 बोर्ड से अलग बोर्ड से 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को मूल निवासी प्रमाण पत्र (Domicile) की मूल प्रति दिखानी होगी।

अन्य आवश्यक नियम

1. **छात्राएँ अपना परिचय–पत्र (फोटो सहित) सदैव अपने पास रखेंगी। महाविद्यालय में तथा महाविद्यालय के बाहर कहीं भी परिचय–पत्र मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**
2. अनुशासनहीनता अथवा दुर्व्यवहार करने पर छात्रा को दण्ड दिया जायेगा। यह दण्ड जुर्माने के रूप में अथवा महाविद्यालय से निकाल देने के रूप में हो सकता है।
3. **परीक्षा में बैठने के लिये कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है।**
4. छात्राओं से महाविद्यालय समय पर आने और प्रत्येक कक्षा में उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है। **समय पर महाविद्यालय न आने अथवा कक्षा छोड़ कर महाविद्यालय से चले जाने पर महाविद्यालय प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा।**
5. समय–समय पर विश्वविद्यालय से प्राप्त तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी कॉलिज के नोटिस बोर्ड विश्वविद्यालय की वैब साईट **www.ccsuniversity.ac.in** या महाविद्यालय की वैब साईट **www.inpgcollege.org** को देखकर प्राप्त करने का दायित्व छात्राओं का होगा।
6. छात्राओं से महाविद्यालय में समय–समय पर होने वाले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सम्मेलनों में सद्व्यवहार एवं उचित अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। स्वतन्त्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि अन्य समारोहों में अनुपस्थित छात्राओं को आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।
7. छात्राएँ शिक्षिकाओं के प्रति आदर, श्रद्धा व पारस्परिक सम्बन्धों में सहानुभूति एवं मैत्रीपूर्ण भावनाओं का विकास करेंगी।
8. यदि कोई छात्रा, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के नियमों के विपरीत प्रवेश लेने में (किसी प्रकार भी) समर्थ हो जाती है तो बाद में किसी भी समय उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
9. कोई छात्रा यदि वर्ष भर नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन कर अपनी उपस्थिति पूर्ण कर लेती है परन्तु परीक्षा में (किसी कारण से) प्रविष्ट नहीं हो पाती या अनुत्तीर्ण हो जाती है तो अगले वर्ष वह महाविद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश नहीं पा सकेगी।
10. **सभी छात्राओं को निर्धारित यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है।**
11. **छात्राओं का मोबाईल के साथ महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है।**

● ● ●

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. सत्र 2021–2022 में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आरम्भ होंगे।
2. प्रवेश प्राप्त करने के लिए छात्रा को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
3. प्रवेश–फॉर्म के साथ प्रत्येक छात्रा को (यदि वह नयी छात्रा है) विगत संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र तथा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भी अवश्य प्रस्तुत करनी होगी तथा प्रवेश के समय मूल प्रमाण–पत्र भी अनिवार्य रूप से साथ लाना आवश्यक है।
4. विषय चयन करते समय निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखें:–

   (क) विषय विशेष में प्रविष्टि के लिये न्यूनतम अर्हतायें (अंक) निर्धारित हैं। उसको पूरा किये बिना वह विषय नहीं मिल सकता है।

   (ख) प्रत्येक विषय में स्थान सीमित हैं, इच्छित विषय न मिल पाने की स्थिति में जो विषय लेंगी वह भी अंकित करना होगा।

   (ग) विषय का चयन भली भांति सोच विचार कर करें, बाद में किसी भी परिस्थिति में विषय में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
5. प्रवेश–फॉर्म को पूरा करके प्रवेशाधिकारी (प्रवक्ता) की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
6. प्रवेश–फॉर्म के पारित और हस्ताक्षरित हो जाने के उपरान्त प्रार्थी को उसी दिन शुल्क जमा कर उसकी रसीद लेनी चाहिए। उसी दिन शुल्क न जमा करने पर प्रवेश स्वीकृति न मिलना भी सम्भव है।
7. अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रवेशार्थियों को वर्ष 2020 का आय प्रमाण–पत्र तथा जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रतियाँ प्रवेश–फॉर्म के साथ ही लगानी होंगी, अन्यथा शुल्क सम्बन्धी लाभ नहीं मिल सकेगा। आय प्रमाण–पत्र तहसीलदार महोदय का ही मान्य होगा।
8. शुल्क की रसीद की तभी भली–भांति जांच कर लेनी चाहिए, तथा उसे सम्भालकर रखनी चाहिए किसी भी समय उसकी आवश्यकता हो सकती है। परीक्षा प्रवेश–पत्र (रोल नं०) लेते समय शुल्क रसीद दिखाना अनिवार्य है।
9. प्रवेश क्रम के अनुसार छात्रा को महाविद्यालय अनुक्रमांक (S.R No.) प्रदान किया जायेगा जो उसकी रसीद पर अंकित रहेगा। इसी अनुक्रमांक के अनुसार उसको अपने टाईम टेबल इत्यादि की सूचना मिलेगी।
10. सुरक्षित धन लेने के लिए सुरक्षित धन जमा करने की रसीद प्रस्तुत करने पर ही सुरक्षित धनराशि वापस दी जा सकेगी।
11. किसी भी स्वयं निर्भर विदेशी छात्रा को किसी भी कक्षा में तब तक स्थायी प्रवेश नहीं मिल सकेगा जब तक वह कुलपति, चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय से प्रवेश–स्वीकृति नहीं प्राप्त कर लेती। विदेशी नागरिकों को अपने सम्बन्ध में कॉलिज से प्राप्त अन्य प्रपत्रों को भी भरना आवश्यक है।

No Foreign student will be admitted/ registered by this college to any course, unless she produces requisite eligibility certificate from the university and submit all relevant documents to the college.

12. यदि कोई छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अपेक्षित उपस्थिति पूरी कर लेती है पर उस पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठ पाती या अनुत्तीर्ण हो जाती है तो उस पाठ्यक्रम विशेष में पुनः नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वह पाठ्यक्रम उसे भूतपूर्व छात्रा (Ex-Student) के रूप में ही पूरा करना पड़ेगा।
13. यदि किसी छात्रा ने त्रि–वर्षीय स्नातक/सेमेस्टर व्यवस्था के अन्तर्गत स्नातकोतर कक्षा का प्रथम सेमेस्टर किसी अन्य महाविश्वविद्यालय से (जो कि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मान्य हो) उत्तीर्ण कर लिया है तो वह भाग दो या तीन (जैसे क्रम हो) में कुलपति की आज्ञा से ही प्रवेश पा सकती है। एक ही शहर में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
14. उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व रक्षाकर्मी, पिछड़ी जाति के प्रवेशार्थियों के लिये सभी कक्षाओं में क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 1 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं, किन्तु न्यूनतम अर्हतायें पूरी करने पर ही प्रवेश मिल सकेगा।
15. प्रवेशार्थी छात्राओं को अर्हताओं के आकलन के समय निम्न प्रतिभार दिया जायेगा–

   (क) 4 प्रतिशत प्रतिभार उन छात्राओं को जिन्होंने राष्ट्रीय/राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद में भाग लिया हो।

   (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के सार्टिफिकेट C अथवा G-II धारक को 3 प्रतिशत तथा सर्टिफिकेट B अथवा G-I धारक को 2 प्रतिशत का प्रतिभार।

   (ग) चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्नातक छात्राओं के लिये 4 प्रतिशत प्रतिभार।

   (घ) 4 प्रतिशत प्रतिभार चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय अथवा इस्माईल नेशनल महिला (पी०जी०) कॉलिज, मेरठ के शिक्षक/कर्मचारियों की पुत्रियों या पत्नी के लिये। चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य कॉलिजों के कर्मचारियों के उपर्युक्त आश्रितों को उस दशा में प्रतिभार मिलेगा जब वह विषय उनके विद्यालयों में न पढ़ाया जाता हो।

   (ङ) 3 प्रतिशत प्रतिभार राष्ट्रीय सेवा योजना **(N.S.S.)** की उन छात्राओं को जिन्होंने 2 कैम्प तथा 240 घण्टे की सेवा की हो तथा 2 प्रतिशत प्रतिभार जिन्होंने एक कैम्प तथा 240 घण्टे की सेवा की हो तथा 1 प्रतिशत प्रतिभार 240 घण्टे की सेवा करने वाली छात्राओं को या एक कैम्प एवं 120 घण्टे की सेवा करने वाली छात्राओं को।

   (च) गाइडिंग गतिविधियों में भाग लेने वाली छात्राओं को द्वितीय सोपान पास करने पर 1 प्रतिशत, तीसरा सोपान पास करने पर 2 प्रतिशत, राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने पर 3 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं को 4 प्रतिशत दिया जायेगा।

(छ) किसी भी दशा में किसी छात्रा को 8 प्रतिशत से अधिक प्रतिभार नहीं दिया जायेगा, परन्तु इस प्रतिभार का प्रतिबन्ध विश्वविद्यालय/कॉलिजों के कर्मचारियों की पुत्रियों/पत्नी के लिये अनुमान्य नहीं होगा। इनके लिए प्रतिभार का प्रतिबन्ध 12 प्रतिशत होगा।

नोट : किसी छात्रा को अपनी स्नातक डिग्री अधिकतम 6 वर्ष में एवं स्नातकोत्तर डिग्री अधिकतम 4 वर्ष में पूरी कर लेनी चाहिए। इस संबंध में उसे कोई छूट नहीं दी जायेगी। समय की गणना प्रारम्भिक प्रवेश वर्ष से की जायेगी।

16. ऐसी छात्राओं, जिन्होंने 10+2 परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 के अतिरिक्त किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, को मात्र 30 प्रतिशत स्थान उसी दशा में उपलब्ध होंगे यदि उनकी वरीयता सामान्य वर्ग से निम्न नहीं है।

17. मात्र एक सिटिंग परीक्षा द्वारा स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाली छात्राओं का स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

18. जिन छात्राओं ने एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा एक या अधिक उपाधियों के लिए महाविद्यालय में 2 वर्ष अध्ययन कर चुकी हैं, उन्हें महाविद्यालय में दूसरी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

    (i) यदि कोई प्रवेशार्थी दूसरी ऐसी स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश चाहता है जिसमें प्रायोगिक परीक्षा होती है तो यह प्रवेश उसे तभी दिया जा सकेगा जब उसने वह विषय स्नातक स्तर पर पढ़ रखा हो।

    (ii) स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेशार्थी की स्नातक परीक्षा के कुल प्राप्तांक के साथ जिस विषय में वह प्रवेश चाहती है उसके प्राप्तांकों को तथा प्रतिभार को जोड़कर प्रतिशत निकाला जायेगा।

19. **एम0ए0 कला, संगीत तथा मनोविज्ञान में प्रवेश के लिए निम्न अतिरिक्त नियम भी लागू होंगे–**

    (1) उपरोक्त विषयों में प्रवेश लेते समय छात्रा के पास स्नातक स्तर पर वह विषय मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए।

    (2) मैरिट लिस्ट बनाते समय छात्रा द्वारा स्नातक के तीनों वर्षों में थ्योरी में प्राप्त अंक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधे अंकों को जोड़ा जायेगा। इस प्रतिशत में विद्यार्थी द्वारा अर्जित प्रतिभार जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

    (3) प्रतीक्षा सूची उतनी ही संख्या में घोषित की जायेगी जितनी कि उस विषय में सीट (या स्थान) उपलब्ध हैं।

    (4) विद्यार्थी जिस विषय में प्रवेश लेना चाहता है उस विषय में उसके स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए तथा उसने परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो।

20. "बैक पेपर" अथवा "पूरक परीक्षा" में अर्ह छात्राओं को प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार दिया जायेगा।

21. पिछली कक्षा उत्तीर्ण करने और नयी कक्षा में प्रवेश स्वीकृति प्राचार्या से लेनी होगी।

22. किसी भी छात्रा को बिना कारण बताये प्रवेश न देने का पूर्ण अधिकार प्राचार्या का होगा।

23. किसी छात्रा का कार्य एवं आचरण असन्तोषजनक होने पर उसे चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानानुसार कॉलिज से किसी भी समय निकाला जा सकता है।

24. कोई भी प्रवेशार्थी कॉलिज की छात्रा तभी मानी जायेगी जब वह प्रवेश के लिये निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र जैसे–स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र आदि जमा करा दे और उसका आवेदन–पत्र प्रवेशाधिकारी/प्राचार्या द्वारा स्वीकृत कर लिया जाये।

25. ऐसे अभ्यर्थी जिसने स्नातक परीक्षा एकल विषय में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, महाविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्य नहीं हैं।

26. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए अर्हता उपाधि से दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमन्य नहीं होगा।

नोटः (1) जिन छात्राओं ने आबिद कामिल परीक्षा जामिया–ए–उर्दू, अलीगढ़ से उत्तीर्ण की है उन्हें विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(2) जिन छात्राओं ने साहित्य सम्मेलन प्रयाग/इलाहाबाद से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) जिन छात्राओं ने स्नातक/स्नातकोत्तर की प्रथम वर्ष परीक्षा व्यक्तिगत छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की है उन्हें उसी कोर्स की अगली कक्षा में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

• • •

वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी नियम

1. प्रत्येक वर्ष में उत्तीर्ण होने के लिए बी0ए0 में प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक लाने आवश्यक होंगे एवं एम0ए0 में उत्तीर्ण होने के लिए 36 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
2. परीक्षा के समय जो छात्रा अनुचित साधन का प्रयोग करती हुई या दुर्व्यवहार करने की दोषी पायी जायेगी, उसे कॉलिज में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा एम0ए0/एम0कॉम0 की परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम द्वारा तथा शेष सभी कक्षाओं की परीक्षाएँ वार्षिक होंगी। बी0ए0 प्रथम वर्ष की परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम द्वारा होगी।
4. प्रत्येक स्नातक विषय की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में पृथक् से 33 प्रतिशत अंक पाने पर छात्रा उत्तीर्ण घोषित की जायेगी। स्नातकोत्तर विषय में यह प्रतिशत 36 होगा।
5. No Student will be allowed to appear at any University Examination unless she has passed the examination of the proceeding class/year College will not forward the examination forms of povisionally admitted candidates without verifying the result of proceeding class/year.
6. **परीक्षा के समय छात्राएँ पारदर्शी किट में मात्र परीक्षा से सम्बन्धित सामग्री ही लेकर आयेंगी उसके अतिरिक्त सामग्री बैग इत्यादि लाने पर वापस भेज दिया जाएगा।**

नोट : परीक्षा सम्बन्धी जो भी और महत्त्वपूर्ण सूचनायें विश्वविद्यालय से प्राप्त होंगी तथा अन्य आवश्यक सूचनायें यथासम्भव सूचनापट (Notice Board) पर लगा दी जायेंगी । जिसको देखने का पूर्ण दायित्व छात्रा को होगा।

उपस्थिति : चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्रा को विश्वविद्यालय की उस विषय अथवा कोर्स की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जिसमें (लिखित तथा प्रायोगिक कक्षा में अलग–अलग) उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रह गयी होगी। छात्राओं की उपस्थिति गणना सत्रारम्भ के प्रथम दिन से ही की जायेगी। प्रतिमाह उनकी उपस्थिति विश्वविद्यालय को ऑनलाइन भेजी जायेगी। किसी एक विषय में उपस्थिति कम होने के कारण यदि छात्रा परीक्षा में नहीं बैठ पाती है तो उसका सम्पूर्ण वर्ष ही व्यर्थ चला जायेगा। अतः प्रत्येक विषय में उपस्थिति पूर्ण होना अनिवार्य होगा, क्योंकि सभी विषयों में उत्तीर्ण होने पर ही आगामी वर्ष में अगली कक्षा में प्रवेश सम्भव हो सकेगा।

• • •

परिचय-पत्र

1. छात्रा का परिचय–पत्र इस महाविद्यालय की सदस्यता को प्रमाणित करता है।
2. प्रत्येक छात्रा के पास उसके चित्र सहित (पासपोर्ट साइज़) परिचय–पत्र होना चाहिए। परिचय–पत्र पर चीफ प्रॉक्टर के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
3. यह केवल एक वर्ष के लिये मान्य है। अतः प्रत्येक वर्ष में इसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. परिचय–पत्र को बहुत सम्भाल कर रखना चाहिए। खो–जाने पर 3/– रुपये जमा करने पर ही उसे पुनः प्राप्त किया जा सकेगा।
5. परिचय–पत्र विवरण–पत्रिका के साथ है। छात्राएँ इसको भर कर प्रवेश पत्र के साथ जमा कर दें तथा प्रवेश लेने के उपरान्त प्रवेश रसीद दिखाकर प्रॉक्टर कक्ष से प्लास्टिक कवर प्राप्त कर लें।
6. उन सभी स्थानों और अवसरों पर जहाँ इस कॉलिज की छात्राओं को उपस्थित होने का अधिकार है, यह परिचय–पत्र प्रत्येक छात्रा के पास होना आवश्यक है। अधिकारियों द्वारा मांगने पर इसे प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में छात्रा का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
7. कॉलिज के बाहर अन्य अवसरों पर भी यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः छात्राओं को अपने हित में विद्यालय का परिचय–पत्र सदैव अपने पास रखना जाहिए।

महाविद्यालय यूनिफॉर्म

समस्त छात्राओं के लिये कॉलिज में यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है।

1. **ग्रीष्मकालीन यूनिफॉर्म : नीली धारी वाली जाकेट, सफेद सलवार कुर्ता (बाँहदार) और दुपट्टा अथवा सफेद साड़ी ब्लाउज (बाँहदार) निर्धारित है। यूनिफॉर्म में न आने पर छात्रा का महाविद्यालय में प्रवेश सम्भव नहीं होगा। विवाहित छात्राएँ महरून सूट एवं दुपट्टा अथवा महरून साड़ी पहन सकती हैं।**
2. **शीतकालीन यूनिफॉर्म : शीत ऋतु में विद्यालय यूनिफॉर्म में नैवी ब्लू स्वेटर अथवा जैकिट होना अनिवार्य है।**

नोट : यूनिफॉर्म में जालीदार अथवा सैल्फ डिजाईन का कपड़ा वर्जित है।

• • •

पुस्तकालय

1. केवल संस्थागत छात्राएँ ही महाविद्यालय के पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त कर सकती हैं।
2. प्रत्येक छात्रा के लिये पुस्तकालय की सदस्यता आवश्यक है। पुस्तकालय कार्ड विवरण–पत्रिका के साथ संलग्न है। इसे भरकर एवं प्रवेश रसीद दिखाकर पुस्तकालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर करा लें।
3. प्रत्येक छात्रा अपने कार्ड पर दो पुस्तकें एक साथ ले सकती है।
4. छात्रा को पुस्तकालय के कार्ड के विनिमय में ही पुस्तक दी जायेगी। पुस्तक लौटा देने पर छात्रा को कार्ड वापिस दे दिया जायेगा।
5. पुस्तकालय कार्ड खो जाने पर छात्रा लाइब्रेरियन को अविलम्ब लिखित रूप से सूचना देगी। पाँच रुपये जमा करने पर ही पुनः कार्ड प्रदान किया जा सकेगा।
6. पुस्तक लेने से पूर्व छात्रा पुस्तक का भली प्रकार निरीक्षण कर ले, यदि पुस्तक ठीक स्थिति में न हो तो उसी समय लाइब्रेरियन को सूचित करें, अन्यथा पुस्तक लेने वाली छात्रा को ही पुस्तकालय में नई पुस्तक देने का भार वहन करना पड़ेगा।
7. छात्रा को सामान्यतः पुस्तक एक सप्ताह के लिये दी जाती है किन्तु अधिक मांग में रहने वाली पुस्तकें कम समय के लिये भी दी जा सकती हैं। जिन पुस्तकों की मांग कम है वे पुनः प्राप्त की जा सकती हैं।
8. निश्चित अवधि से अधिक समय तक पुस्तक रखने पर छात्रा से 1/– प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड लिया जायेगा।
9. पुस्तक खो जाने पर छात्रा से पुस्तक अथवा पुस्तक का वर्तमान मूल्य लिया जायेगा।
10. सन्दर्भ पुस्तकें घर के लिये नहीं दी सकती हैं। सन्दर्भ पुस्तकें जैसे –

    1. शब्द कोष (Dictionaries)
    2. विश्व कोष (Encyclopaedia)
    3. वर्ष पुस्तकें (Year Book)
    4. जीवनी सम्बन्धी कोष (Biographical Dictionaries)
    5. भू–चित्रावलियाँ (Atlas)
    6. सन्दर्भ ग्रन्थ (Reference Book)
    7. शोध–प्रबन्ध (Thesis)

    पुस्तक या पत्रिका को नष्ट करना अत्यन्त निन्दनीय कार्य है जिसके लिये दोषी को दण्ड दिया जा सकता है तथा अपराध की गुरूता के अनुसार छात्रा की पुस्तकालय सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है।

● ● ●

शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ एवं सुविधायें

महाविद्यालय छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विद्यालय में अनेक संघ व समितियाँ कार्य करती हैं।

विभिन्न विषयों की समितियाँ इस प्रकार हैं –

हिन्दी साहित्य परिषद्, उर्दू साहित्य परिषद्, संस्कृत साहित्य परिषद्, अंग्रेजी साहित्य परिषद्, समाज शास्त्र परिषद्, राजनीति विज्ञान परिषद्, मनोविज्ञान परिषद्, अर्थशास्त्र परिषद्, ललितकला परिषद्, संगीत परिषद् एवं शारीरिक शिक्षा परिषद् इत्यादि। इसके अतिरिक्त :–

1. छात्र परिषद्	2. वाद–विवाद प्रतियोगिता समिति
3. छात्र कल्याण समिति	4. पुस्तकालय समिति
5. राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)	6. पुरातन छात्र संघ
7. रेंजर्स	8. शिकायत प्रकोष्ठ
9. महिला प्रकोष्ठ	10. कम्प्यूटर एवं लैंग्वेज लैब आदि
11. जिम	12. काउन्सिलिंग लैब

नई शिक्षा नीति के तहत दस प्रकोष्ठों का सृजन किया गया है।

समितियों के तत्वाधान में समय–समय पर भाषण, वाद–विवाद प्रतियोगिता, परिसंवाद, विचार–गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किये जाते हैं।

महाविद्यालय पत्रिका : महाविद्यालय द्वारा उच्च कोटि की पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जिसका उद्देश्य छात्राओं की रचनात्मक क्षमता को उद्बुद्ध एवं समृद्ध करना है।

खेलकूद : छात्राओं के शारीरिक गठन एवं विकास के लिए बैडमिंटन, डेकटेनिस, टेबिल टेनिस आदि खेलों का अभ्यास निरन्तर कराया जाता है। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी छात्राएँ उत्साहपूर्वक भाग लेती हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना : भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत छात्राओं के समुचित विकास हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर की 300 छात्राओं का चयन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत छात्राओं में राष्ट्र–प्रेम की भावना जागृत करना, समाज सेवा के प्रति प्रेरित करना, समाज के दलित वर्ग के उत्थान हेतु कार्य करने का अवसर प्रदान करना, शारीरिक श्रम का महत्व बताना तथा प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, परिवार नियोजन, मद्यनिषेध, अल्पबचत आदि कार्यक्रमों के विषय में जनता में जागृति उत्पन्न करना है। विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत वार्षिक तथा विशेष शिविर लगाये जाते हैं।

अनुशासन विभाग : विद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये अनुशासन विभाग है। इसमें चीफ प्रॉक्टर, सहायक प्रॉक्टर और अनेक छात्रा–प्रीफेक्ट्स योजनाबद्ध रूप से कार्य करती हैं।

● ● ●

वर्ष की सर्वोत्तम छात्रायें

वर्ष के अन्त में चार सर्वोत्तम छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। जैसे –

सर्वोत्तम वक्ता :

अधिकतम वाद–विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाली तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में अधिकतम पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्रा सर्वोत्तम वक्ता के पुरस्कार की अधिकारिणी होगी, जिसका निर्णय वाद–विवाद समिति द्वारा किया जायेगा।

सर्वोत्तम खिलाड़ी :

विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रा वर्ष की सर्वोत्तम खिलाड़ी घोषित की जाती है, जिसका निर्णय क्रीड़ा समिति द्वारा किया जाता है।

सर्वोत्तम छात्रा :

सम्पूर्ण वर्ष विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न छात्रा वर्ष की सर्वोत्तम छात्रा घोषित की जाती है। सर्वोत्तम छात्रा के चयन का सम्पूर्ण अधिकार प्राध्यापिका वर्ग को है तथा यह चयन प्राध्यापिका वर्ग के बहुमत से होगा, जिसका अन्तिम निर्णय प्राचार्या का होगा।

विभिन्न विभागों की सर्वोत्तम छात्राओं के सम्बन्ध में विभिन्न समितियों की संयोजिका अथवा प्राध्यापिका सदस्यों में किसी प्रकार का वाद–विवाद अथवा मतभेद होने की स्थिति में कॉलिज प्राचार्या द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

सर्वाधिक अंक :

बी0ए0, एम0ए0 कक्षाओं में विषयवार सर्वाधिक अंक पाने वाली छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

● ● ●

परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने पर राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दण्ड का विवरण

क्रमांक	अनुचित साधन का प्रकार	निर्धारित दण्ड
1.	पकड़ी गयी सामग्री प्रश्नपत्र/विषय से सम्बन्धित नहीं होने पर।	भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी।
2.	सम्बन्धित सामग्री शरीर के किसी अंग पर लिखी गयी हो, पुस्तकें, हस्तलिखित कागज, पुस्तकों के पृष्ठ, तालिकायें, डेक्स पर लिखी/दीवार अथवा द्वार /ज्योमैट्री बॉक्स, मापनी, रबर, रूमाल अथवा राइटिंग पैड पर लिखी गयी परन्तु प्रयुक्त नहीं, सामग्री पर।	समस्त परीक्षा निरस्त
3.	उपरोक्त (2) में लिखी सामग्री यदि प्रयोग में गयी हो।	समस्त परीक्षा निरस्त तथा आगे एक वर्ष के लिय परीक्षा वर्जित
4.	प्राप्त सामग्री उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठ, प्रश्न–पत्र दिये जाने से पूर्व उत्तर पुस्तिका में लिखना, कर्मचारियों से दुर्व्यवहार अथवा गाली देना, सामग्री का प्रयोग, प्रमाण का चबाना / गटकना /नष्ट करना/ परीक्षा कार्यालय द्वारा भरवाने वाले प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से मना करना।	समस्त परीक्षा निरस्त तथा आगे दो वर्ष या तीन वर्ष के लिये परीक्षा वर्जित
5.	उत्तर पुस्तिका बदलना, अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ना, उत्तर पुस्तिका/पृष्ठ चोरी से लाना, ले जाना, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, धमकी देना, हाथापाई करना, परीक्षा में व्यवधान डालना अथवा परीक्षा अधीक्षक द्वारा लगाये गये अन्य गम्भीर आरोप।	समस्त परीक्षा निरस्त तथा आगे चार अथवा पाँच वर्षों के लिये वर्जित

नोटः यदि प्राचार्या अथवा केन्द्र अधीक्षक किसी परीक्षार्थी के व्यवहार से असन्तुष्ट हैं तो उसे बिना कारण बताये परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

● ● ●

शासन/विश्वविद्यालय द्वारा विनिहित शुल्क तालिका

वर्ष : 2021-2022

1.	प्रवेश/पुनः प्रवेश शुल्क	3.00 प्रतिवर्ष
2.	मंहगाई शुल्क	42.00 प्रतिवर्ष
3.	पुस्तकालय शुल्क	36.00 प्रतिवर्ष
4.	शीत एवं उष्ण शुल्क	200.00 प्रतिवर्ष
5.	विकास शुल्क	36.00 प्रतिवर्ष
6.	विश्वविद्यालय पंजीकरण शुल्क बी0ए0	5.00 प्रतिवर्ष
	एम0ए0	10.00 प्रतिवर्ष
7.	प्रयोगशाला शुल्क बी0ए0 (चित्रकला, मनोविज्ञान, संगीत, गृह विज्ञान)	240.00 प्रतिवर्ष
8.	क्रीड़ा शुल्क	65.00 प्रतिवर्ष
9.	पत्रिका शुल्क	100.00 प्रतिवर्ष
10.	वाचनालय शुल्क	
	(i) बी0ए0	12.00 प्रतिवर्ष
	(ii) एम0ए0	18.00 प्रतिवर्ष
11.	चिकित्सा शुल्क	24.00 प्रतिवर्ष
12.	निर्धन छात्रा शुल्क	5.00 प्रतिवर्ष
13.	छात्रा कल्याण शुल्क	5.00 प्रतिवर्ष
14.	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	15.00 प्रतिवर्ष
15.	परिचय पत्र शुल्क	10.00 प्रतिवर्ष
16.	कैरियर काउंसलिंग शुल्क	10.00 प्रतिवर्ष
17.	छात्र संघ शुल्क	10.00 प्रतिवर्ष
18.	विद्यालय पंजीकरण शुल्क	100.00 प्रतिवर्ष
19.	पुस्तकालय प्रतिभूति (Security) शुल्क	
	(i) बी0ए0	50.00 प्रतिवर्ष
	(ii) एम0ए0	70.00 प्रतिवर्ष

20.	प्रयोगात्मक प्रतिभूति (Security) शुल्क	50.00 प्रतिवर्ष
21.	क्रीड़ा प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क	60.00 प्रतिवर्ष
22.	परीक्षा शुल्क	विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार
23.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार
24.	अंकतालिका शुल्क	35.00 प्रतिवर्ष
25.	प्रवेश–पत्र वितरण शुल्क	25.00 प्रतिवर्ष
26.	जेनरेटर डीजल शुल्क	200.00 प्रतिवर्ष
27.	**आन्तरिक परीक्षा शुल्क**	100.00 प्रतिवर्ष
28.	**बी0एस0सी0 (स्व वित्तपोषित) कक्षा शुल्क**	9600.00 प्रतिवर्ष
29.	**बी0कॉम0 (स्व वित्तपोषित) कक्षा शुल्क**	7800.00 प्रतिवर्ष
30.	**एम0ए0/एम0कॉम0 (स्व वित्तपोषित) कक्षा शुल्क**	9300.00 प्रतिवर्ष
31.	**एम0ए0 (स्व वित्तपोषित) प्रयोगात्मक शुल्क**	300.00 प्रतिवर्ष
32.	**बी0एड0 प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क**	शासन के निर्देशानुसार

नोट :

1. **शासन/विश्वविद्यालय द्वारा यदि बाद में शुल्क में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः लागू माना जायेगा तथा शेष शुल्क बाद में देय होगा।**
2. **एक बार प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी अवस्था में शुल्क वापस नहीं होगा।**

● ● ●

प्रवेश के समय लिये जाने वाला शुल्क

सत्र : 2021-2022

बी0ए0 विषय : हिन्दी, उर्दू , संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र

बी0ए0 प्रयोगात्मक विषय : चित्रकला, मनोविज्ञान, संगीत (गायन, सितार, तबला) तथा गृहविज्ञान

	सामान्य/पिछड़ी जाति की छात्राओं		
कक्षा	**बिना प्रैक्टिकल**	**एक प्रैक्टिकल विषय सहित**	**दो प्रैक्टिकल विषय सहित**
द्वितीय वर्ष	1,298.00	1,588.00	1,878.00
तृतीय वर्ष	1,298.00	1,588.00	1,878.00
एम0ए0 प्रथम वर्ष हिन्दी, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान व संस्कृत	1,379.00	X	X
एम0ए0 द्वितीय वर्ष हिन्दी, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान व संस्कृत	1,309.00	X	X

बी0ए0 होमसाइंस की छात्राओं को बी0ए0 की उपरोक्त फीस के साथ रु0 1000/– अतिरिक्त स्व वित्तपोषित शुल्क के और जमा करने होंगे।

नोट : उपर्युक्त सभी शुल्कों में परीक्षा से सम्बन्धित शुल्क शामिल नहीं है जो विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जमा किया जायेगा।

• • •

प्रवेश के समय लिये जाने वाला शुल्क

स्वःवित्तपोषित शुल्क

बी0एस0सी0, बी0कॉम0, एम0कॉम0
एम0ए0 (अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, चित्रकला, मनोविज्ञान, संगीत)

बी0एस0सी0 द्वितीय/तृतीय वर्ष	9,600.00
बी0कॉम0 द्वितीय/तृतीय वर्ष	7,800.00
एम0कॉम0 द्वितीय वर्ष	9,300.00
एम0ए0 (अंग्रेजी/अर्थशास्त्र) द्वितीय वर्ष	9,300.00
एम0ए0 (चित्रकला/संगीत/मनोविज्ञान) द्वितीय वर्ष	9,600.00

नोट : उपर्युक्त सभी शुल्कों में परीक्षा से सम्बन्धित शुल्क शामिल नहीं है जो विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जमा किया जायेगा।

• • •

।।सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्।।

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

द्वारा विद्यालय में संचालित कोर्सों का विवरण

क्रम0 सं0	विषय	अवधि	योग्यता	फीस
1.	बी0ए0 / बी0कॉम0	3 वर्ष	10+2	3,700 / –
2.	एम0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र)	2 वर्ष	स्नातक	7,200 / –
3.	एम0कॉम0	2 वर्ष	स्नातक	7,200 / –
4.	बी0लिब0	1 वर्ष	स्नातक	7,700 / –
5.	एम0लिब0	1 वर्ष	बी0लिब0	12,200 / –
6.	पत्रकारिता	1 वर्ष	स्नातक	6,200 / –
7.	पत्रकारिता में परास्नातक	1 वर्ष	स्नातक	6,200 / –
8.	स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण में डिप्लोमा	1 वर्ष	10+2	4,200 / –
9.	पी0जी0 डिप्लोमा इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन	1 वर्ष	स्नातक	7,200 / –
10.	पी0जी0 डिप्लोमा इन फाइनेन्शियल मैनेजमैन्ट	1 वर्ष	स्नातक	6,200 / –
11.	एम0बी0ए0			16,150 / –
12.	अन्य डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स			

नोटः • **जो विद्यार्थी किसी अन्य कक्षा में संस्थागत छात्रा / छात्रा के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, वह भी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।**

• **कोर्सों के विषय में अधिक जानकारी के लिए मुक्त वि0वि0 की बैबसाइट www.uprtou.ac.in देखें।**

समन्वयक
डा0 रीना गुप्ता

महाविद्यालय की गतिविधियाँ

Auditorium

Library

Home Science

Gym

Physics Lab

Chemistry Lab